

डिक्री बमूकदमें इब्तादाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 238/2024

वादी

1. महावीर बुगालिया पुत्र महादेवराम जाति जाट निवासी ईग्यार तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. महादेवराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी ईग्यार तहसील जायल
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -


1. वादी 1 की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट।

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 महावीर बुगालिया के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 367 रकबा 1.8616 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 महादेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ईग्यार के खेत खसरा नम्बर 339 रकबा 2.8004 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 527 रकबा 2.7680 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03/01/25 को जारी किया गया


(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल